न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–35/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 खेमसिंह पुत्र मगसिंह निवासी ढूंढिया ग्राम पंचायत मकोडी तहसील व जिला नागौर (वाहन मालिक) 2 रघुवीरसिंह पुत्र खेमसिंह जाति राजपूत निवासी ढूंढिया ग्राम पंचायत मकोडी तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

दिनांक –20.09.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा बोलेरा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 15.06.23 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर से दूरभाष पर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरे वाहन को डिटैन किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक व शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक, मकराना मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर से सम्पर्क कर तहरीर प्राप्त कर डिटैनशुदा बोलेरा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में मौके पर डिटैन्शुदा वाहन पर एक टैंक बना हुआ पाया गया, जिसकी भण्डारण क्षमता लगभग 2000 लीटर है। चूंकि यह केलीब्रेटेड नहीं है। उक्त वाहन पर बने टैंकर पर टैंकर से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा के मापन हेतु एक डिस्पेसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया जिसके साथ एक नोजल व बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा का मापन दर्शाने वाला एक इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन चालक रघुवीरसिंह पुत्र खेमसिंह निवासी ढूंढिया तहसील नागौर से पूछताछ कर बयान दर्ज किये। अपने बयानो में रघुवीरसिंह ने बताया कि बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 का वह चालक है और यह वाहन उनके स्वयं का है व उनके पिताजी खेमसिंह पुत्र मगसिंह के नाम पंजीकृत है। मौके पर बताया कि उक्त वाहन का पंजीकरण डीजल टैंकर के रूप में करवाया हुआ है। रघुवीरसिंह ने बताया कि वह पेट्रोल पम्प से इस डीजल टैंकर में डीजल भरवाकर उनकी स्वयं की फर्म मैसर्स नखतसिंह मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के वाहनों यथा ट्रेक्टर, डम्पर व जेसीबी में भरते है। मौके पर रघुवीरसिंह ने बताया कि वह दिनांक 12.06.23 को इस डीजल टैंकर में मैसर्स श्री अर्जुनराम खोखर मेमोरियल किसान सेवा केन्द्र नागौर रोड गंठीलासर नागौर से एक लाख रूपये का 1050 लीटर डीजल भरवाकर फर्म के वाहनों में भरने हेतु लेकर आया था। रघुवीरसिह ने बताया कि वह दिनांक 14.06.23 को लगभग शाम 7 बजे इस डीजल टैंकर को फर्म के वाहनों में डीजल भरने हेतु खेराट लेकर जा रहा था कि ग्राम जीवन बेरा के पास बस स्टैण्ड पर चाय पीने के लिए थोडी देर के लिए वाहन को नागौर जोधियासी रोड पर खडा किया कि अचानक मौके पर पुलिस पहुंची और वाहन को थाने में लाकर डिटैन कर दिया गया। मौके पर डिटैनशुदा वाहन के टैंकर जिसकी भण्डारण क्षमता लगभग 2000 लीटर है, में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर टैंकर में 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन चालक रघुवीरसिंह व खेमसिंह से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से संबंधित किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर इन्होने इनके पास इस संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। रघुवीरसिंह द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा वाहन के टैंकर से एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर डेन्सिटी लेने पर डेन्सीटी 38.5 C पर 810 पर 810 प्राप्त हुई जो डेन्सीटी चार्ज अनुसार 826.6 प्राप्त हुई। एल्युमिनियम की बाल्टी में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को सैम्पल हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन स्वच्छ एल्युमिनियम पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रति पात्र में 1000 एम.एल पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु तीनों एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं यथा उत्पाद का नाम, स्थान दिनांक आदि चस्पा कर आन्तरिक तीनों नमूनों को क्रमशः मार्का ए.–1, ए.–2, ए.–3

अपर कलक्टर, नागौर

दिया गया। मौके पर लिये गये नमूनों में से नमूना में से नमूना संख्या ए.–1 को प्लास्टिक सील संख्या 6029013, नमूना संख्या ए.–2 को प्लास्टिक सील संख्या 6029339 एवं नमूना संख्या ए.–3 को प्लास्टिक सील संख्या 6029392 से सील्ड किया गया। वाहन पर बने टैंकर के उपरी ढक्कन को प्लास्टिक सील संख्या 6029322 से व डिस्टेसिंग यूनिट के दरवाजे को प्लास्टिक सील संख्या 6029313 से सील्ड किया गया। टैंकर के उपर आधा इंच व्यास के पाईप को सील चस्पा किया गया। नमूना क्रमांक ए–1 को वास्ते एफएसएल. जांच हेतु साथ में लिया गया। नमूना ए–2 को खेमसिंह पुत्र मगसिंह को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये एवं नमूना क्रमांक ए–3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया। जब्त सुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ निर्णय होने तक सील्डशुदा सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना सदर नागौर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार खेमसिंह व रघुवीरसिंह का यह कृत्य सपठित MS & HSD आर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार जब्त सुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीडी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी खेमसिंह के नाम एक नखत सिद्व मिनरल्स एण्ड केमिकल्स नाम की फर्म है, जो रजिस्टर्ड फर्म है, जिसका अप्रार्थी प्रोपराईटर है अप्रार्थी के फर्म पर ट्रैक्टर, जे.सी.बी. डम्पर आदि से कार्य किये जाते हैं व जे.सी.बी., डम्पर व ट्रैक्टर इत्यादि में हर रोज सैकडों लीटर डीजल की खपत होती है इसलिए अप्रार्थी ने एक गाडी संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 पिकअप जिसके पीछे वाहनों में तेल पूर्ति हेतु डीजल टैंकर की अपनी फर्म नखत सिद्व मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के नाम करवाया हुआ है व उक्त पिकअप व उसके पीछे लगे टैंकर सहित पिकअप का रजिस्ट्रेशन डीजल टेंकर के रूप में करवाया हुआ है। अप्रार्थी ने अपनी फर्म पर संचालित मशीनों में डीजल आपूर्ति हेतु मैसर्स अर्जुनराम खोखर मेमोरियल किसान सेवा केन्द्र से दिनांक 12.06.23 को 1050 लीटर डीजल खरीदा व अपने डीजल टैंकर में भरवाया, उक्त डीजल की रसीद भी पेट्रोल पम्प द्वारा दी गई व उक्त डीजल टैंकर को अपने गांव मकौडी ले जाकर छोड दिया। अप्रार्थी रघुवीर सिंह उक्त डीजल टैंकर का वाहन चालक है व वाहन चालक ने उक्त वाहन व टैंकर में भरे डीजल को फर्म से फोन आने पर दिनांक 14.06.23 को अपने फर्म पर वाहनों में तेल आपूर्ति हेतु ले जा रहा था व रास्ते में जीवणबेरा के पास बस स्टैण्ड पर चाय पीने के लिए उक्त वाहन को नागौर जोधियासी रोड पर सडक पर खडा किया था उसी समय वहां पर पुलिस पहुंची एवं अप्रार्थी के वाहन को थाने में लेकर आ गये। अप्रार्थी चालक ने समस्त दस्तावेज पुलिस को दिखाते हुए उक्त डीजल अपने वाहन से फर्म पर ले जाने का निवेदन किया था उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने अप्रार्थी की एक भी नहीं सुनी व रसद विभाग को सूचित कर दिया जबकि अप्रार्थी के पास भण्डारण क्षमता से कम डीजल पाया गया था जबकि डीजल वाहन की क्षमता 2000 लीटर तक की है व उक्त डीजल रजिस्टर्ड पेट्रोल पम्प से लेकर आना व उक्त वाहन डीजल टैंकर के रूप में पंजीयन होना व उक्त डीजल अप्रार्थी फर्म पर स्थित/संचालित वाहनों में डीजल पूर्ति हेतु डीजल ले जाने के सम्पूर्ण तथ्य पाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के विरूद्व मिथ्या व गलत रूप से कार्यवाही की है इसलिए उक्त कार्यवाही को अप्रार्थी के विरूद्व ड्रॉप कर उक्त वाहन व उसमें भरे डीजल को अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

3. उभयपक्ष की वहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 15.06.23 को अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह रामावतार पूनियां व शिवराज प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर अप्रार्थी संख्या 02 रघुवीरसिंह पुत्र खेमसिंह निवासी ढूंढिया उपस्थित मिला एवं मौके पर बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। अप्रार्थीगण ने बताया कि जब्ती स्थल पर उसके पास जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, वो सभी दस्तावेज वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को पुलिस थाने में ले जाने के पश्चात थाने में दिखाये लेकिन पुलिस द्वारा उक्त वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को मुक्त करने से मना करने के बाद उक्त सभी दस्तावेज न्यायालय में पेश किये। न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत् ही पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम खारिज कर, जिला रसद अधिकारी नागौर को सीज सुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.डी. 2779 मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर